राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांकः–एफ 9/सहायता/2021/131 दिनांकः–12/01/2021

प्रशासनिक स्वीकृति

बारां जिले में वित्तीय वर्ष 2020–21 में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के तत्काल रेस्टोरेशन के क्रम में शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(18)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/ 20/142–49 दिनांक 05.01.2021 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी कर भिजवाऐ ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकें। बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02–बाढ, चक्रवात आदि, 106– खराब सडकों तथा पुलो की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 02–बाढ क्षेत्र में खराब सडकों तथा पुलो की मरम्मत तथा पुनस्थापना 01– सडको की मरम्मत एवं पुनस्थापना, 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नाकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी– अधिशाषी अभिंयन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त नहरों/तालाबों की मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	एन.एच. 27 से देवरी	2.00
2	संपर्क सडक शाहबाद रेस्ट हाउस	0.60
3	समरानियां से बहराई वाया नाटई अजरोंडा	5.40
4	बालचर से खेराई वाया खटका सेमली फाटक	7.20
5	कस्बाथाना से बामनगॅवा	3.00
6	खटका से गणेशपुरा वाया जखोनी	4.86
7	तिलगॉवा से पुरेनी टांडा कछियान	6.72
8	खांडा सहरोल से बिची	3.36
9	एनएच. 27 से रातई कलां वाया देवरी उपरेटी	4.02
10	बीलखेडा माल से होड़ापुरा वाया गोयरा	5.40
11	संपर्क सडक कस्बा नोनेरा	1.80
12	एनएच. 27 से खांडा सहरोल	1.92
13	देवरी से सड़ वाया बीलखेड़ा माल	2.85
14	शाहाबाद रोड से सहरोल तलहेटी	1.50
15	मुन्दियर से कालोनी	1.20
16	संपर्क सडक बसेली	1.68
17	चन्दनहेडा से खरदा	3.60
18	रामपुर उपरेटी से बांसखेडा गुगल	2.10
19	शाहाबाद से मंडी से जना वाया मझारी	8.46
20	रामपुर उपरेटी से बल्हारपुर	0.90
21	कस्बाथाना सडक आगर से सेमली तलहेटी	0.73
22	गणेशपुरा से सेमरा	0.94

23	केलवाड़ा से पीपलखेड़ी वाया हतवारी	3.24
24	समरानियां से हाटरी वाया महोदरा	4.80
25	मुण्डियर–राजपुर रोड़ कि.मी. 6/200 से बरारा	1.93
26	समरानियां से सिरसोद कलां वाया नारायणखेड़ा	5.40
27	कस्बाथाना से आगर अप टू स्टेट बोर्डर	9.78
28	सम्पर्क सड़क सांधरी वाया पठारी	3.48
29	कस्बाथाना से काली माताजी मन्दिर	0.30
30	एन.एच.–27 से सनवाड़ा	3.60
31	सम्पर्क सड़क शुभधरा	1.20
32	देवरी से वमनगवां वाया तिलगवां	1.20
33	राजपुर से किरार पहाड़ी	0.60
34	सम्पर्क सड़क तेलनी	1.80
35	कस्बाथाना से टाण्डा अहिरान	2.40
36	एन.एच.–27 से शाहाबाद	4.00
37	मुण्डियर–राजपुर अप टू स्टेट बोर्डर	7.80
38	एन.एच.–27 कि.मी. 531 से बांसखेड़ा माल	0.51
39	देवरी–चौराखाड़ी रोड़ से बीलखेड़ा डांग	1.20
40	मुण्डियर–राजपुर रोड़ से कृपालपुर	1.50
41	बिची से रांमपुर उपरेटी	1.06
42	एन.एच.–27 कि.मी. 573/0 से धुवा	4.20
43	बिची से नादिया	0.90
44	पुरैनी से मुसरेड़ी	0.73
45	सेमली फाटक–खैराई रोड़ से धतुरिया	0.32
46	गदरेटा से निवार	3.90
47	एन.एच.–27 से कस्बाथाना	1.20
48	शाहाबाद से नगर कोट माताज	0.72
	Total	138.01

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :–

1. कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद होगी। विभिन्न कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इसके तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
3. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 15 मार्च 2021 के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. डिफेक्ट लाईबिलिटि अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावें।
5. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावें कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
6. यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित सडकों / पुलों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
7. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
8. कार्यो का निष्पादन वितीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
9. एनडीआरएफ / एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौर्म्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
10. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
12. ''कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है'' इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

जिला कलक्टर
(सहायता) बारां

क्रमांकः–एफ 9 / सहायता / 2021 / 131

दिनांकः– 12.01. 2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3 अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत बारां को उक्त कार्यो की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु ।
3 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।
4 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।
5 कोषाधिकारी, बारां।
6 प्रभारी अधिकारी, लेखा / केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

जिला कलक्टर
(सहायता) बारां